46/2014

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी :करतारसिंह पूनियॉ, आर0ए0एस0

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 46/14

रणवीर पुत्र श्री देवी लाल जाति जाट निवासी सरदारपुरा जीवन तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

निगरानीकर्ता

बनाम

1. भानीराम पुत्र श्री रामस्वरूप जाति ब्रहामण निवासी सरदारपुरा जीवन तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. सरपंच, ग्राम पंचायत, सरदारपुरा जीवन, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3.

गैर निगरानीकर्त्ता

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज0 पंचायत राज अधिनियम,1994

उपस्थित : 1. श्री जसवन्त भादू, अधिवक्ता, निगरानीकर्ता
2. श्री मोहनलाल माहर अधिवक्ता, गैरनिगरानीकर्त्ता सं0 1
3. श्री प्रेम सेवटा, अधिवक्ता, गैरनिगरानीकर्ता सं0 2

आदेश

दिनांक : 23-12-16

निगरानीकर्ता द्वारा राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है। निगरानी प्रकरण के सुसंगत संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता के पास अहाता सं0 108 वाके चक सरदारपुरा जीवन में अलाट है और अपने आहते में निर्माण कर अपने परिवार के साथ निवास कर रहा है परन्तु गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 01 फर्जी पट्टे के आधार पर नक्शे में ए से बी व सी से डी जो मार्क किया गया है पर निर्माण कर लिया है। नक्शे में दर्शाय गये स्थान ए से बी व सी से डी में जो गुवाड है उसका फर्जी पट्टे के आधार पर गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 01 निर्माण नहीं कर सकता। निगरानीकर्त्ता के आहता संख्या 108 से बाहर आने जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर अनावेदक संख्या 01 के नाम से यदि कोई फर्जी पट्टा पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है तो उसे निरस्त फरमाया जावे।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

ग्राम पंचायत द्वारा निगरानी से सम्बन्धित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया क्योंकि निगरानीकर्त्ता द्वारा निगरानी में विशिष्ट आदेश/पट्टे का उल्लेख नहीं किया है। निगरानीकर्त्ता के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 10.04.2015 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विकास अधिकारी, सादुलशहर से प्रार्थना पत्र की प्रति भेजते हुए मौके की स्थिति, गुवाड व मन्दिर के स्थान की पैमायश व पट्टे की पैमायश जो गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 01 के पास है से सम्बन्धित रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए रिपोर्ट प्राप्त की गई। विकास अधिकारी, सादुलशहर द्वारा जरिए पत्र क्रमांक 5710 दिनांक 16.12.2015 से रिपोर्ट उपलब्ध कराई है। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्त्ता के अधिवक्ता दौराने बहस उपस्थित नहीं हुए, इसलिए उनकी बहस नही सुनी जा सकी।

गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 01 के अधिवक्ता ने बहस में कहा है कि निगरानीकर्त्ता द्वारा अपनी निगरानी में निगरानीकृत भूखण्ड संख्या 108 का जो हवाला दिया गया है, वह विकास अधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 16.12.2015 के अनुसार भूखण्ड संख्या 108 गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 01 का नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जानी चाहिए।

गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 02 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि पंचायत समिति, सादुलशहर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार भूखण्ड सं0 108 रिकॉर्ड में लेखूराम पुत्र केसुराम के नाम दर्ज है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

निगरानीकर्त्ता द्वारा निगरानी के माध्यम से किसी विशिष्ट आदेश/पट्टा को निरस्त कराने का अनुतोष नहीं चाहा है बल्कि निगरानी में अनुतोष के माध्यम से निवेदन किया है कि गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 01 के नाम से यदि कोई फर्जी पट्टा पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है तो उसे निरस्त किया जावे।

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सादुलशहर की रिपोर्ट दिनांक 16.12.2015 के अनुसार गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 01 के पास सरदारपुरा जीवन की आबादी भूमि में आहता संख्या 159, 159क तथा 160 पर गत 50 वर्षों से आवास कर रहा है, जिसका पट्टा गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 01 के पास है। गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 01 पट्टे के अनुसार भूमि पर काबिज हैं। आहता संख्या 108 जो निगरानी में वर्णित किया है, गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 01 भानीराम के मकान से काफी दूर है। रिकॉर्ड के अनुसार लेखूराम पुत्र केसूराम के नाम दर्ज है। निगरानीकर्त्ता द्वारा आहता संख्या 108 का जो अंकन किया गया है, वह सही नही है। सचिव, ग्राम पंचायत सरदारपुरा जीवन की रिपोर्ट के अनुसार भानीराम द्वारा अपने पूर्व निर्मित आवास की छत बदलने का कार्य किया है अन्य कोई नया निर्माण नहीं किया है। ग्राम सेवक ने अपनी रिपोर्ट में यह भी अंकित किया है कि निगरानी संख्या 13/1993 का निर्णय दिनांक 17.02.1994 को एडीएम, हनुमानगढ द्वारा भानीराम के पक्ष में हो चुका है तथा एसबी सिविल रिट संख्या 5403/1994 का निर्णय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भानीराम के पक्ष में हो चुका है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

46/2014 — अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राजस्थान) A11/3

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार निगरानीकृत भूखण्ड संख्या 108 गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 01 के नाम से नही है बल्कि किसी अन्य व्यक्ति लेखूराम पुत्र केसूराम के नाम खसरा रजिस्टर में दर्ज है। निगरानीकर्त्ता के अधिवक्ता द्वारा किसी विशिष्ट पट्टे/आदेश को निरस्त करवाने का अनुतोष नहीं चाहा है बल्कि गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 01 के नाम से यदि कोई फर्जी पट्टा पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है तो उसे निरस्त किया जावे। निगरानीकर्त्ता स्वयं निगरानीधीन पट्टे बाबत आश्वस्त नही हैं। काल्पनिक आधारों पर निगरानी प्रस्तुत की गई है जो आधार हीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप निगरानीकर्त्ता की निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 23.12.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करतारसिंह पूनियॉ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)